



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102023-249586
CG-DL-E-21102023-249586

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4417]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945

No. 4417]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

विषय: दिनांक 07.09.2020 के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना फ़ा.सं.डब्ल्यू-43/4/2019-आईपीएचडब्ल्यू-एमईआईटीवाई के खंड संख्या 4.12 (सर्वर) में संशोधन संबंधी।

का.आ. 4591(अ).—दिनांक 15.06.2017 के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 जिसे दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020 और 16.09.2020 के आदेशों द्वारा यथा संशोधित किया गया, को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 07.09.2020 की इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की राजपत्र अधिसूचना फ़ा.सं. डब्ल्यू-43/4/2049-आईपीएचडब्ल्यू-एमईआईटीवाई के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित किया गया था।

2. सर्वर के मामले में, खंड 4.12 (ख): स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र को निम्नानुसार संशोधित किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा:

स्थानीय सामग्री की गणना के लिए संशोधित तंत्र:

सर्वर की घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें। हालांकि, 'एड ऑन कंट्रोलर' के कुल मूल्य का वेटेज **सर्वर** के कुल बीओएम के **3%** से अधिक नहीं होगा।

बीओएम के प्रमुख इनपुट/ सर्वर के विनिर्माण के लिए चरण	मूल्य वर्धन/इनपुट को घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपेक्षित स्थानीय सामग्री
1	2
सर्वर बोर्ड/मदर बोर्ड और सीपीयू(एस)/जीपीयू(एस)	सेमीकंडक्टर्स** और सीपीयू (एस) / जीपीयू (एस)** को शामिल करके" और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण
मेमोरी माँड्यूल	पीसीबी असेंबली* और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेअर पीसीबी पर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स** और कलपुर्जों/संघटकों से घरेलू परीक्षण।
हार्ड डिस्क ड्राइव/ सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव (एसएसडी)	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
कैबिनेट + एसएमपीएस	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू रूप से घरेलू स्तर पर विनिर्मित कैबिनेट और एसएमपीएस का घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के अधीन कि "एसएमपीएस" की असेंबली में उपयोग किए गए घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 25% होगा ("एसएमपीएस " के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले भागों और संघटकों का कुल मूल्य)
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
सहायक उपकरण (पावर केबल, कनेक्टर, आदि)	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
एड-ऑन कंट्रोलर I. आरएआईडी कंट्रोलर/एडाप्टर II. नेटवर्क इंटरफ़ेस कंट्रोलर	पीसीबी असेंबली* और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेअर पीसीबी पर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित चिप्स** और कलपुर्जों/संघटकों से घरेलू परीक्षण।
(i) फाइनल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन और विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* यह आवश्यक है कि सीपीयू (एस)/जीपीयू (एस)/प्रोसेसर (एस) के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए), एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग कर बेयर पीसीबी पर भागों/संघटकों को अनिवार्य रूप से भारत में किया जाना चाहिए।

** भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

3. दिनांक 07.09.2020 की एमईआईटीवाई की राजपत्र अधिसूचना फ़ा.सं.डब्ल्यू-43/4/2019-आईपीएचडब्ल्यू-एमईआईटीवाई के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

[फ़ा. सं. डब्ल्यू-43/4/2019-आईपीएचडब्ल्यू-एमईआईटीवाई]

आशा नांगिया, समूह समन्वयक और वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

Subject: Amendment to Electronic Products Notification F.No.W-43/4/2019-IPHW-MeitY dated 07.09.2020 w.r.t. Clause No. 4.12 (Servers) – reg.

S.O. 4591(E).— Electronic Products were notified vide Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) Gazette Notification F.No.W-43/4/2019-IPHW-MeitY dated 07.09.2020, in furtherance of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 dated 15.06.2017, as amended by Orders dated 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020 and 16.09.2020.

2. In case of Servers, Clause 4.12 (B): Mechanism for calculation of local content is amended as under and will be applicable with immediate effect:

Revised Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Server would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table. However, the weightage of total value of 'Add on Controller' shall not exceed **3%** of the total BOM of the Server.

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Server	Value addition /local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Server Board/ Mother Board and CPU(s)/ GPU(s)	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU(s)/ GPU(s)** and excluding the value of bare PCB.
Memory Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured memory chips** and parts/ components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
Hard Disk Drive/ Solid State Storage Drive (SSD)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Cabinet + SMPS	Domestically manufactured Cabinet and domestic assembly and testing of SMPS from imported / domestically manufactured parts and components, subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "SMPS" will be minimum 25% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "SMPS").
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Accessories (Power Cables, Connectors, etc.)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Add-on Controllers	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured chips** and parts/ components on imported/ domestically
i. RAID Controller/Adapter	

ii. Network Interface Controllers	manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
(i) Final Assembly and Testing	(i) Domestically assembled/ tested and
(ii) Design and Development	(ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in the domestic BOM.

** It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU(s)/ processor(s), parts/ components on the bare PCB using the SMT process should **mandatorily** be done in India*

*** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.*

3. All other terms and conditions of MeitY Gazette Notification F.No.W-43/4/2019-IPHW-MeitY dated 07.09.2020 remain unchanged.

[F. No. W-43/4/2019-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Group Coordinator & Scientist 'G'